

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ:- आपका का पत्र क्रमांक/6-MPR 011/2023-BHO/I/69681 दिनांक 12.04.2024.

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 01 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The proposal examined and found that the area of existing carriageway has not been included in diversion area. Therefore you are requested to include the area of existing carriageway in the diversion area and revise the proposal accordingly.	आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि इस रोड का निर्माण वर्ष 1980 के पूर्व किया गया था। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत टोपोशीट 1973-74 (P-54/10), 1974-75 (P-54/11 & P-54/15) से स्पष्ट है। उक्त टोपोशीट की हार्डकॉपी आपको पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1564 दिनांक 14.03.2024 से प्रेषित की जा चुकी है। इसलिए मौजूदा कैरेज क्षेत्र को शामिल करना आवश्यक नहीं है। आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन दिनांक 18.04.2024 संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

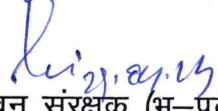
(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/ 2323

भोपाल, दिनांक 29/04/2024

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कायालय कायपालन यंत्रो
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर म.प्र.

दूरभाष 07582-222206

E mail eepwdnhsagar768@gmail.com

ज्ञाप क0/
प्रति,

900 / व.ले.लि. / 2024-25

सागर दिनांक

18/04/24

अपर प्रधान

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

वन भवन भोपाल

विषय:-

पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलंगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हे0 वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रं. एफ-5/1215/2023/10-11/2048 भोपाल दिनांक 15.04.2024
2. इस कार्यालय का पत्र क्रं. 264/व.ले.लि./2023-24/ सागर दिनांक 05.02.2024

कृपया संदर्भित पत्र क्रं. 2 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उल्लेखित बिंदु का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। आपके संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व चाही गई 01 बिंदु की जानकारी पुनः आपकी ओर प्रेषित है।

Point	Reply
The Proposal examined and found that the area of existing carriageway has not been included in diversion area. Therefore you are requested to include the area of existing carriageway in the diversion area revise the proposal accordingly.	The Project Road was built before 1980. Clearly indicating Topo sheet of SOI for the year 1973-74(P-54/10), 1974-75 (P-54/11 & P-54/15) (Attached). Hence looking to the fact it is to state that the revise proposal by inclusion of the area of existing carriageway dose not arise.

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण मे सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

पृ0 क0/
प्रतिलिपि:-

/ व.ले.लि. / 2024-25

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.संभाग सागर
सागर दिनांक

1. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रा.रा.परिक्षेत्र निर्माण भवन द्वितीय अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता -क्षेत्रीय अधिकारी एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच. निर्माण भवन द्वितीय अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना की ओर सूचनार्थ।

सहपत्र:- शून्य

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.संभाग सागर



मध्य प्रदेश शासन

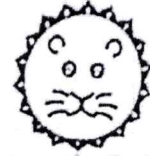
Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120
E-mail: fdptr82@gmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve



पन्ना टाइगर रिजर्व

क्रमांक/व.त.अ./2024/657
प्रति,

/पन्ना, दिनांक-29/4/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हे. (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हेक्टेयर) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ :- 1.आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/2049 भोपाल दिनांक 15.04.2024
2.कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.रा.स. संभाग सागर का पत्र क्र./900/व.ले. लि./2024-25 दिनांक 18.04.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से आपके द्वारा प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 01 बिन्दु पर आवेदक संस्थान से जानकारी प्रेषित किये जाने के निर्देश किये गये थे। जिसके पालन में आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जानकारी आपकी ओर प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की गई है।

अतः आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(श्रीमती अंजना सुचिता तिकी)

क्षेत्र संचालक,

पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

/पन्ना, दिनांक 29/4/2024

पृष्ठा.क्रमांक/व.त.अ./2024/658

प्रतिलिपि :- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्र संचालक,

पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना